फा.सं.ई-शासन/3/2024-ई-समन्वय
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

92, संविधान सदन,
नई दिल्ली-110001
तारीख: 12.07.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषयः संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में जून, 2024 का मासिक सारांश।

अधोहस्ताक्षरी को इसके साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के जून, 2024 के मासिक सारांश की एक प्रति अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

(पी.के. त्रिपाठी)
अवर सचिव, भारत सरकार
011-23034746

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आज़ाद रोड़, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सभी सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
8. सचिव/अपर सचिव के निजी सचिव।

**भारत सरकार**

**संसदीय कार्य मंत्रालय**

**विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय का जून, 2024 का मासिक सारांश।**

**1. माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय/प्रमुख उपलब्धियां:-**

**क. महत्वपूर्ण विधायी कार्य**

**I. मंत्रिमंडल की बैठक**

1. मंत्रिमंडल ने 05.06.2024 को आयोजित अपनी बैठक में सत्रहवीं लोक सभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देने का निर्णय लिया।

2. मंत्रिमंडल ने 10.06.2024 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया:-
   i. लोक सभा को 24.06.2024 से बुलाया जाए और राज्य सभा को 27.06.2024 से बुलाया जाए और सरकारी कार्य की आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए दोनों सदनों का 03.07.2024 को सत्रावसान कर दिया जाए।
   ii. लोक सभा अध्यक्ष के चुनाव का आयोजन 26.06.2024 को किया जाए।
   iii. राष्ट्रपति से अनुरोध किया जाए कि वे 27.06.2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे संसद भवन के लोक सभा कक्ष में एकत्रित संसद के दोनों सदनों को संबोधित करें।

**II. सत्रहवीं लोक सभा का विघटन**

राष्ट्रपति ने 05.06.2024 को 17वीं लोक सभा को भंग करने के मंत्रिमंडल के निर्णय को मंजूरी दी, जिसे लोक सभा सचिवालय को सूचित कर दिया गया और उसी दिन विधिवत अधिसूचित कर दिया गया।

**III. अठारहवीं लोक सभा के नव निर्वाचित सदस्यों की शपथ/प्रतिज्ञान हेतु कार्यवाहक अध्यक्ष तथा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति**

राष्ट्रपति ने श्री भर्तृहरि महताब को सामयिक/कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में और श्री सुरेश कोडिकुन्नील, श्री थालिकोट्टाई राजूतेवर बालू, श्री राधा मोहन सिंह, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और श्री सुदीप बंदोपाध्याय को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त किया था जिनके समक्ष नए सदस्य शपथ ले सकते हैं या प्रतिज्ञान कर सकते हैं। 24.06.2024 को राष्ट्रपति भवन में श्री भर्तृहरि महताब को शपथ/प्रतिज्ञान कराया गया था।

**IV. 18वीं लोक सभा का पहला सत्र और राज्य सभा का 264वां सत्र आरम्भ हुआ**

18वीं लोक सभा का पहला सत्र 24 जून, 2024 से और राज्य सभा का 264वां सत्र 27 जून, 2024 से शुरू हुआ।

**V. शपथ या प्रतिज्ञान**

18वीं लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने 24, 25 और 26 जून, 2024 को शपथ ली या प्रतिज्ञान किया।

VI. **लोक सभा <u>अध्यक्ष का चुनाव</u>**

26 जून, 2024 को लोक सभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ।

VII. **<u>राष्ट्रपति का अभिभाषण</u>**

भारत के राष्ट्रपति ने 27.06.2024 को संसद भवन के लोक सभा कक्ष में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया।

**ख. संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन**

जून, 2024 के अंत में, लोक सभा के 566 और राज्य सभा के 662 आश्वासन लंबित थे। माह के दौरान, लोक सभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के कहने पर 17 आश्वासन जोड़े गए जबकि राज्य सभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के कहने पर 1 आश्वासन जोड़ा गया।

**ग. लोक सभा में नियम 377 के तहत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई**

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के संबंध में लोक सभा में नियम 377 और राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों की स्थिति निम्नानुसार है:-

| | **लोक सभा में नियम 377 के तहत उठाए गए मामले** | **राज्य सभा में नियम 180-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले** |
|---|---|---|
| दिनांक 01.06.2024 को लंबित मामले | 313 | 101 |
| माह के दौरान उठाए गए मामले | 000 | 000 |
| कुल मामले | 313 | 101 |
| माह के दौरान प्राप्त उत्तर | 001 | 010 |
| 05.06.2024 को सत्रहवीं लोक सभा के विघटन का प्रभाव | लोक सभा में लंबित सभी 312 मामलें व्यपगत हो गए | राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा |
| माह के अंत में लंबित मामले | **शून्य** | **091** |

भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका के पैरा 15.5 के अनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों को दिनांक 13.06.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/1/2019-विधायी-II के माध्यम से लोक सभा में नियम 377 के तहत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर 17वीं लोक सभा के विघटन के प्रभाव के बारे में सूचित किया गया।

दिनांक 18.06.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/1/2020-विधायी-II के माध्यम से लोक सभा में नियम 377 के तहत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों के निपटान से संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

**घ. युवा संसद योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करना**

- दिल्ली के स्कूलों के लिए 57वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 का अभिविन्यास पाठ्यक्रम 5 जुलाई, 2024 को डिजिटल मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
- केंद्रीय विद्यालयों के लिए 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 का अभिविन्यास पाठ्यक्रम 12 जुलाई, 2024 को डिजिटल मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
- जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 का अभिविन्यास पाठ्यक्रम 19 जुलाई, 2024 को डिजिटल मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
- जून, 2024 के दौरान विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की ओर से कुल 183 नए पंजीकरण एनवाईपीएस पोर्टल पर किए गए।

**ङ. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)**

जून, 2024 के दौरान नेवा के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की गईं:

**1) राजस्थान में नेवा परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी देने के लिए नेवा की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक**

राजस्थान विधानसभा में नेवा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी देने के लिए 5 जून, 2024 को संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में नेवा की अधिकार प्राप्त समिति की 14वीं बैठक आयोजित की गई। समिति ने रू.**12,61,60,250/-** के परियोजना परिव्यय के साथ राजस्थान विधानसभा में नेवा परियोजना को मंजूरी दी।

**2) 3 जून को सचिव की अध्यक्षता में नेवा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।**

3 जून, 2024 को मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव और मध्य प्रदेश सरकार के अपर सचिव ने राज्य में नेवा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अन्य अधिकारियों के साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव और अपर सचिव की उपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए संसद भवन, नई दिल्ली का दौरा किया।

**3) विधानमंडल को निधि जारी करना**

नेवा के कार्यान्वयन के लिए असम विधानसभा को केंद्र सरकार के सहायता अनुदान की हिस्सेदारी की रू.2,68,42,644/- (दो करोड़ अड़सठ लाख बयालीस हजार छह सौ चौवालीस रुपये) की राशि की पहली किस्त 6 जून, 2024 को जारी की गई।

**4) नेवा के माध्यम से लाइव सत्रों का संचालन**

इस माह के दौरान, सीपीएमयू, नेवा टीम द्वारा नेवा के माध्यम से निम्नलिखित विधानसभाओं को अपने सत्रों के बाधा रहित संचालन के लिए ऑनलाइन सहायता प्रदान की गई।

(i) तमिलनाडु विधानसभा का बजट सत्र 20 से 29 जून, 2024 तक आयोजित किया गया।

(ii) विधानसभा सदस्यों को शपथ/प्रतिज्ञान दिलाने के लिए 11वीं सिक्किम विधानसभा का एक दिवसीय सत्र 12 जून, 2024 को आयोजित किया गया।

**5) क्षमता निर्माण के उपाय**

(i) 11 जून, 2024 को अपर सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिकारियों के लिए नेवा पर एक परिचयात्मक कार्यशाला आयोजित की गई। अधिकारियों को विभिन्न मॉड्यूल वाले संपूर्ण नेवा सूट के कामकाज के बारे में जानकारी दी गई।

(ii) 12 जून, 2024 को मिजोरम विधानसभा के अधिकारियों को 'समिति मॉड्यूल' पर एक आभासी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

**च. लोक सभा में प्रतिपक्ष के नेता की अधिसूचना**

संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 के प्रयोजनार्थ श्री राहुल गांधी को लोक सभा में विपक्ष के नेता के रूप में अधिसूचित करने वाली अधिसूचना 27.06.2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई।

**छ. मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक**

19.06.2024 को इस मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई।

2. लंबे समय तक अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण रुके हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले

-शून्य-

3. तीन महीने से अधिक समय से लंबित 'अभियोजन हेतु स्वीकृति' के मामलों की संख्या

-शून्य-

4. उन मामलों का विवरण जिनमें कार्य निष्पादन नियमों या सरकार की स्थापित नीति से विचलन शामिल रहा।

-शून्य-

5. जारी स्वच्छता अभियान की स्थिति (विशेष अभियान के तहत प्रगति)

गतिविधियां संचालित की जा रही हैं और नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

6. स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण की स्थिति

इस मंत्रालय के तत्वावधान में कोई स्वायत्त निकाय नहीं है।

7. शासन और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित टोल और अनुप्रयोगों के उपयोग हेतु उठाए गए विशिष्ट कदमों की जानकारी

- लागू नहीं-

8. स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित मंत्रालय/विभाग में वरिष्ठ स्तर की नियुक्तियों की रिक्ति स्थिति

वर्तमान में मंत्रालय में वरिष्ठ स्तर के सभी पद भरे हुए हैं।

9. उन मामलों की सूची जिनमें एसीसी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है

-शून्य-

10. माह के दौरान स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों का विवरण और मंत्रालय/विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों की स्थिति।

-शून्य-